भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 693

उत्तर देने की तारीख 24.07.2025

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान की स्थिति

693. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत राज्यों को जारी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अनुदान शामिल हैं का वर्ष-वार और राज्य-वार अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अनुदानों के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार क्या विशिष्ट कार्यकलाप किए गए और वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या इन अनुदानों के लिए दिशानिर्देश या उपयोग की शर्तें निर्धारित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य ने ऐसे अनुदानों के कम उपयोग, उपयोग न करने या अन्यत्र उपयोग की सूचना दी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सहित राज्यों से अतिरिक्त राशि जारी करने या संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गा दास उइके)

(क): "संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के प्रावधान (परंतुक)" के अंतर्गत, राज्य सरकारों को दो श्रेणियों नामतः पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (सीसीए) अर्थात अनावर्ती अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान (जीजी) अर्थात आवर्ती अनुदान में निधियां जारी की जाती हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत दो श्रेणियों में राज्यों को जारी किए गए अनुदानों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ख): भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत, राज्य सरकारों को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित और इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद निधियां प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वच्छता, जलापूर्ति, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, अन्य आय सृजन स्कीम और प्रशासनिक संरचना जैसी क्षेत्रीय गतिविधियों में प्राथमिकता निर्धारण की परिकल्पना की गई है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी की गई पूरी राशि के लिए है, न कि श्रेणी-वार जारी की गई राशि के लिए। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई निधियों के उपयोग का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(ग): सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, अनावर्ती अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीने बाद देय हो जाता है और आवर्ती अनुदानों के मामले में, यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद देय हो जाता है। तदनुसार, इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों से समय-समय पर जीएफआर के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने का अनुरोध किया जाता है। अधिकांश राज्यों ने इस संबंध में समय-सीमा का पालन किया है और कुछ राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न करने की स्थिति में, मंत्रालय द्वारा प्रावधान (परंतुक) के तहत संबंधित राज्य को बाद में निधियां जारी करके बकाया राशि को समायोजित किया जाता है।

(घ): अब तक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के प्रावधान (परंतुक) के तहत जारी की गई निधियों के संबंध में इस मंत्रालय के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ङ) आंध्र प्रदेश सहित अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) वाले राज्यों से प्रस्ताव/कार्य प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है। आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों से वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक योजना प्राप्त हो चुकी है और प्रक्रियाधीन है।

अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत दो श्रेणियों अर्थात पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (सीसीए) और सामान्य सहायता अनुदान (जीजी) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		जीजी	सीसीए	जारी की गई कुल निधियां	जीजी	सीसीए	जारी की गई कुल निधियां	जीजी	सीसीए	जारी की गई कुल निधियां	जीजी	सीसीए	जारी की गई कुल निधियां	जीजी	सीसीए	जारी की गई कुल निधियां
1	आंध्र प्रदेश	32.55	2023.00	2055.55	691	1948	2638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.50	9149.05	9841.55
2	अरुणाचल प्रदेश	450.00	5564.00	6014.00	1435	8395	9830.00	559.56	6705.74	7265.30	0.00	6740.00	6740.00	3025.00	7005.00	10030.00
3	असम	200.00	4392.37	4592.37	2181	389	2570.000	0.00	2300.00	2300.00	0.00	3294.12	3294.12	0.00	4286.23	4286.23
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	300	342	642.08	392.74	608.27	1001.01	0.00	871.24	871.24	524.00	0.00	524.00
5	छत्तीसगढ़	1850.28	8125.96	9976.24	2046	9558	11604.02	4069.98	9508.45	13578.43	2767.77	12909.00	15676.77	0.00	14506.46	14506.46
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	108	493	600.41	0.00	667.79	667.79	0.00	150.00	150.00	0.00	479.91	479.91
7	गुजरात	452.60	5487.44	5940.04	2700	4224	6923.79	1426.79	6122.33	7549.12	3384.77	1200.00	4584.77	0.00	2727.27	2727.27
8	हिमाचल प्रदेश	279.00	882.00	1161.00	00	1500	1500.00	496.50	1158.50	1655.00	0.00	1696.45	1696.45	0.00	2244.23	2244.23
9	झारखंड	1800.00	8478.00	10278.00	3869	8395	12264.19	2119.87	4558.00	6677.87	5750.00	8549.82	14299.82	0.00	5147.06	5147.06
10	कर्नाटक	1255.68	2050.00	3305.68	1050	2100	3210.00	1818.28	2479.29	4297.57	1070.00	3000.00	4070.00	202.13	4528.13	4730.26
11	केरल	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	94.78	722.89	817.67	0.00	1910.44	1910.44	0.00	395.81	395.81
12	मध्य प्रदेश	0.00	4279.78	4279.78	3794	1525	5319.10	0.00	8438.75	8438.75	1897.64	13844.06	15741.70	3275.12	5908.47	9183.59
13	महाराष्ट्र	484.94	4088.22	4573.16	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	1067.36	1067.36	0.00	2456.35	2456.35	0.00	1981.32	1981.32
15	मेघालय	0.00	492.71	492.71	819	776	1595.25	934.66	1970.18	2904.84	0.00	3127.29	3127.29	0.00	2217.40	2217.40
16	मिजोरम	150.00	1759.71	1909.71	519	2453	2971.54	461.42	1192.63	1654.05	0.00	2897.97	2897.97	141.20	2002.60	2143.80
17	नागालैंड	0.00	1717.38	1717.38	96.30	3106	3202.39	1714.04	4149.43	5863.47	0.00	5020.11	5020.11	0.00	2050.50	2050.50

18	ओडिशा	1800.00	4504.62	6304.62	4208	7174	11382.05	5367.11	4783.44	10150.55	0.00	6870.56	6870.56	0.00	10107.95	10107.95
19	राजस्थान	1539.00	7627.00	9166.00	2447	7987	10435.21	859.10	10143.43	11002.53	0.00	8940.07	8940.07	0.00	4626.61	4626.61
20	सिक्किम	220.00	296.00	516.00	545	1500	2045.00	224.42	495.96	720.38	0.00	1754.38	1754.38	632.92	3852.14	4485.06
21	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.49	650.49	0.00	2019.66	2019.66
22	तेलंगाना	150.00	2367.00	2517.00	00	2050	2050.00	837.38	2277.08	3114.46	0.00	5169.00	5169.00	0.00	13797.00	13797.00
23	त्रिपुरा	0.00	201.74	201.74	171	436	607.53	145.06	1149.65	1294.71	550.00	3676.39	4226.39	0.00	4151.82	4151.82
24	उत्तर प्रदेश	50.00	877.43	927.43	00	833	832.71	0.00	1135.85	1135.85	0.00	1353.63	1353.63	0.00	1829.90	1829.90
25	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	00	101	100.65	306.02	0.00	306.02	129.82	834.23	964.05	0.00	0.00	0.00
26	पश्चिम बंगाल	295.50	3745.64	4041.14	00	00	0.00	1255.95	2930.55	4186.50	0.00	4744.40	4744.40	0.00	3549.61	3549.61
	कुल	**11009.55**	**68960**	**79969.55**	**2697.30**	**65285**	**92324.57**	**23083.66**	**74565.57**	**97649.23**	**15550**	**101660**	**117210**	**8492.87**	**108564.13**	**117057**

अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधियों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधियों का उपयोग	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधियों का उपयोग	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधियों का उपयोग	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधियों का उपयोग	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधियों का उपयोग
1	आंध्र प्रदेश	2055.55	2555.70	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	6014.00	9830.00	7265.30	6740.00	0.00
3	असम	4033.345	2392.33	2011.69	1978.52	0.00
4	बिहार	0.00	642.08	818.91	614.88	0.00
5	छत्तीसगढ़	9976.24	11604.02	13562.43	3524.39	0.00
6	गोवा	0.00	400.41	667.79	0.00	44.31
7	गुजरात	5637.87	5091.71	6037.65	1667.04	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	1297.00	1350.00	940.43	364.57	0.00
9	झारखंड	10278.00	10715.62	5642.87	0.00	0.00
10	कर्नाटक	3305.68	3210.00	4297.57	377.56	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	3689.47	3851.89	2751.16	145.10	0.00
13	महाराष्ट्र	617.99	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	533.68	100.00	0.00
15	मेघालय	492.71	1333.02	2353.65	1093.50	0.00
16	मिजोरम	1909.71	2971.54	1654.05	1891.08	0.00
17	नागालैंड	1717.38	3202.39	5303.07	1614.60	0.00
18	ओडिशा	6304.62	11382.05	10150.55	0.00	0.00
19	राजस्थान	9166.00	8892.69	6180.56	4292.86	0.00
20	सिक्किम	389.65	2045.00	220.86	0.00	0.00
21	तमिलनाडु	0.00	0.00	1146.26	0.00	481.64
22	तेलंगाना	2517.00	2050.00	3114.46	5169.00	0.00
23	त्रिपुरा	201.74	607.53	1194.71	2399.59	0.00
24	उत्तर प्रदेश	927.43	832.71	1041.66	0.00	0.00
25	उत्तराखंड	0.00	100.65	12.05	0.00	0.00
26	पश्चिम बंगाल	4041.14	0.00	3745.03	1825.52	0.00
	कुल	**74572.525**	**85061.34**	**80646.39**	**33798.21**	**525.95**

*जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सामान्य अनुदान श्रेणी के अंतर्गत जारी की गई निधियां वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय है।

*****